Fourteenth Lok Sabha
XV Session (12/02/2009 to 26/02/2009)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 12 फरवरी, 2009/23 माघ, 1930 (शक)

संख्या 323

अपराह्न 12.50 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

2. राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 12 फरवरी, 2009 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

अपराह्न 12.53 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति, अंतरिम संसद के सदस्य और पहली, छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री आर॰ वेंकटरमन के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने संविधान सभा, अंतरिम संसद और पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य चौधरी रणबीर सिंह और छठी लोक सभा के सदस्य श्री पेरियासामी त्यागराजन के निधन के बारे में भी उल्लेख किया।

सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.02 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 13 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—589LS—12-02-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 13 फरवरी, 2009/24 माघ, 1930 (शक)

संख्या 324

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री ई॰ बालानंदन और चौथी, पांचवीं, सातवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री भोगेन्द्र झा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

2. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 4—20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1—52 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 71(2) के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 के द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के

कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 71(2) के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 2009 के द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाले एक व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30(ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 4(अ), जो 2 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा गुणवत्ता पुनरीक्षण बोर्ड का गठन करने वाली 28 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 448(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रारूप (पांचवां संशोधन) नियम, 2008 जो 22 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 868(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रारूप (छठा संशोधन) नियम, 2008 जो 23 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 872(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रारूप (सातवां संशोधन) नियम, 2008 जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 876(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (सचिव की नियुक्ति और अर्हताएं) संशोधन नियम, 2009 जो 6 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 11(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (भारतीय निक्षेपक प्राप्तियां जारी करना) (संशोधन) नियम, 2009 जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 35 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 19 जनवरी, 2009 को जारी उद्घोषणा, जो झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अंतर्गत 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 33 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति के 19 जनवरी, 2009 के आदेश, जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 34(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राष्ट्रपति को झारखण्ड के राज्यपाल की दिनांक 16 जनवरी, 2009 की रिपोर्ट, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी, 2009 को प्रख्यापित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 1)।

(9) राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी, 2009 को प्रख्यापित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 2)।

(10) राष्ट्रपति द्वारा 15 जनवरी, 2009 को प्रख्यापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 3)।

(11) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सलाहकार समितियां) विनियम, 2008 जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 02-11(3)/05-बीईई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

(एक) अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्रीमती किरण माहेश्वरी का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी पत्र 22 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हुआ था और उन्होंने 22 दिसम्बर, 2008 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया।

(दो) अध्यक्ष ने सभा को यह भी सूचित किया कि उन्हें महाराष्ट्र के यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री हरिभाऊ राठौड़ का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी पत्र 3 जनवरी, 2009 को प्राप्त हुआ था और उन्होंने 5 जनवरी, 2009 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया।

(तीन) अध्यक्ष ने सभा को आगे सूचित किया कि उन्हें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री उमर अब्दुल्ला का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी पत्र 6 जनवरी, 2009 को प्राप्त हुआ था और उन्होंने 6 जनवरी, 2009 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया।

(चार) अध्यक्ष ने सभा को आगे सूचित किया कि उन्हें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य सुश्री महबूबा मुफ्ती का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी पत्र 12 जनवरी, 2009 को प्राप्त हुआ था और उन्होंने 13 जनवरी, 2009 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया।

(पांच) अध्यक्ष ने सभा को आगे सूचित किया कि उन्हें कर्नाटक के शिमोगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री एस॰ बंगरप्पा का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी पत्र 12 फरवरी, 2009 को प्राप्त हुआ था और उन्होंने 12 फरवरी, 2009 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया।

6. राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित, सभा पटल पर रखा।

7. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने चौदहवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के दूसरे भाग के दौरान 12 दिसम्बर, 2008 को सभा में अंतिम बार प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय से सदन की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 14 विधेयकों को सभा पटल पर रखा:—

1. राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008;
2. उप-राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008;
3. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2008;
4. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2008;
5. विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 2008;
6. असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008;
7. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008;

8. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008;
9. ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008;
10. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008;
11. सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2008;
12. सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2008;
13. दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय विधेयक, 2008; और
14. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) (संशोधन) विधेयक, 2008

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 9 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित प्रतियां सभा पटल पर रखी:—

1. भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2008;
2. राष्ट्रीय जलमार्ग (नदियों का तलचर-धामा खंड, पूर्वी तट नहर का गोखली-चरबतिया खंड, माताई नदी और महानदी डेल्टा नदियों का चरबतिया-धामरा खंड) विधेयक, 2008;
3. राष्ट्रीय जलमार्ग (नहरों तथा कालूवेली जलाशय का काकीनाडा-पांडिचेरी खंड, गोदावरी नदी का भद्राचलम-राजामुंदरी खंड और कृष्णा नदी का वजीराबाद-विजयवाड़ा खंड) विधेयक 2008;
4. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2008
5. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008;
6. विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008;
7. राज्यपाल (उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2008;
8. विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008; और
9. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2008

8. संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष का विनिश्चय

महासचिव ने संविधान की दसवीं अनुसूची तथा लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अंतर्गत श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा डा॰ पी॰ पी॰ कोया के

विरुद्ध दी गई याचिका पर अध्यक्ष, लोक सभा के 9 जनवरी, 2009 के विनिश्चय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अपराह्न 12.05 बजे

9. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने 'महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में महिलाओं की कामकाजी स्थिति' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2008-09) (चौदहवीं लोक सभा) के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गुरुदास कामत ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ''अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स'' के बारे में ऊर्जा संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 2008-09 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में ऊर्जा संबंधी समिति के 26वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(3) वर्ष 2008-09 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में ऊर्जा संबंधी समिति के 25वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(4) ''उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी)की भूमिका'' के बारे में 30वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

11. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री गुरुदास कामत ने वर्ष 2007-08 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में ऊर्जा संबंधी समिति के 23वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. **श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने 'बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 2008' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 38वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. **श्रम संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेः—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों के बारे में 28वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिश पर श्रम संबंधी स्थायी समिति (2008-09) (चौहदवीं लोक सभा) के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों के बारे में 29वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति (2008-09) (चौहदवीं लोक सभा) के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

14. **गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री बिरेन सिंह इंग्ती ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेः—

(1) जम्मू-कश्मीर के प्रवासियों के पुनर्वास के बारे में 137वां प्रतिवेदन;

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में 138वां प्रतिवेदन; और

(3) प्राइवेट गुप्तचर अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2007 के बारे में 139वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 बजे

15. **संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने 16 फरवरी, 2009 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

---

*38वां प्रतिवेदन अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 22.1.2009 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

अपराह्न 12.15 बजे

16. **अंतरिम बजट (रेल)—2009-10**

श्री लालू प्रसाद ने वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम रेल बजट प्रस्तुत किया।

17. **अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—2008-09**

श्री लालू प्रसाद ने वर्ष 2008-09 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

18. **अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2006-07**

श्री लालू प्रसाद ने वर्ष 2006-07 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.57 बजे

19. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

विदेश मंत्री ने 'मुम्बई आतंकी हमले पर अनुवर्ती कार्रवाई' के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।)

*अपराह्न 3.08 बजे

20. **सदस्य द्वारा निवेदन**

देश में मध्याह्न भोजन कर्मकारों के समक्ष समस्याओं के बारे में

श्री मधुसूदन मिस्त्री ने देश में मध्याह्न भोजन कर्मकारों के समक्ष समस्याओं के बारे में निवेदन किया।

श्री वायालार रवि ने उत्तर दिया।

अपराह्न 3.30 बजे

21. **गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित**

(1) श्री मोहन सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (भाग 4क का संशोधन)

(2) श्री मोहन सिंह का पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक, 2008 (धारा 2, आदि का संशोधन)

---

*अपराह्न 2.06 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री मोहन सिंह का महिलाओं, बालकों और निर्धन व्यक्तियों को मृत्यु शास्ति का उत्सादन विधेयक, 2008

(4) श्री एल॰ राजगोपाल का सती (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 (धारा 2, आदि का संशोधन)

(5) श्री फ्रांसिस्को सारदीना का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009 (धारा 11, आदि का संशोधन)।

अपराह्न 3.33 बजे

22. **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—विचाराधीन**

श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन का निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006

श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन द्वारा 30 नवम्बर, 2007 को विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री अधीर चौधरी ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई और गणपूर्ति के अभाव में सभा स्थगित हुई।

अपराह्न 3.44 बजे

(लोक सभा सोमवार, 16 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—638LS—13-02-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 16 फरवरी, 2009/27 माघ, 1930 (शक)

संख्या 325

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **अंतरिम बजट (सामान्य)—2009-10**

श्री प्रणव मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम बजट (सामान्य) प्रस्तुत किया।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.49 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.59 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 12.20 बजे

2. **राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण**

श्री प्रणव मुखर्जी ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

(एक) वृहत आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;

(दो) मध्य अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और

(तीन) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

3. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

वित्त विधेयक, 2009

अपराह्न 12.21 बजे

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रेल मंत्री ने 13.2.2009 को पूर्व तटीय रेलवे के जाजपुरकिओंझर स्टेशन पर 2841 हावड़ा-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के कारण हुई दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.24 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 17 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—696LS(S-5)—16-02-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 17 फरवरी, 2009/28 माघ, 1930 (शक)

संख्या 326

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21—26 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 27—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 53—147 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (गठन की रीति) नियम, 2008, जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 3015(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (अभियोजन की सिफारिश और स्वीकृति) नियम, 2008, जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 3014(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश जिसके द्वारा राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-II के 'यात्रा व्यय' के अंतर्गत अतिरिक्त व्ययों के लिए गोवा के राज्यपाल को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 34 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश जिसके द्वारा राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-II के 'सत्कार व्यय' 'संविदा भत्ते' और 'यात्रा व्यय' के अंतर्गत अतिरिक्त व्ययों के लिए हरियाणा के राज्यपाल को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह 'क' और समूह 'ख' पद, नान-कॉम्बेटाइज्ड भर्ती (संशोधन) नियम, 2008, जो 6 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 208(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल (तैनाती और प्रतिनियुक्ति की अवधि) (संशोधन) नियम, 2007, जो 1 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 255 में प्रकाशित हुए थे।

(12) उपर्युक्त (11) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती दूसरा संशोधन नियम, 2009, जो 14 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 25(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2008, जो 11 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 728(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल (सर्व शिक्षा अभियान), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल (सर्व शिक्षा अभियान), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), भोपाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), भोपाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण, मेघालय के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण, मेघालय के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) तमिलनाडु राज्य मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु राज्य मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) राज्य मिशन प्राधिकरण (सर्व शिक्षा अभियान), सिक्किम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राज्य मिशन प्राधिकरण (सर्व शिक्षा अभियान), सिक्किम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) राज्य मिशन प्राधिकरण (सर्व शिक्षा अभियान), सिक्किम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राज्य मिशन प्राधिकरण (सर्व शिक्षा अभियान), सिक्किम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी, सिकन्दराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी, सिकन्दराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) उत्तराखंड महिला समाख्या सोसाइटी, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखंड महिला समाख्या सोसाइटी, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) गुजरात महिला समाख्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात महिला समाख्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) असम महिला समता सोसाइटी, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम महिला समता सोसाइटी, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसायटी, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) अक्सम सर्व शिक्षा अभिजन मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अक्सम सर्व शिक्षा अभिजन मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) इंडियन रबड़ मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबड़ मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 115(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 116(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 117(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 118(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) का॰आ॰ 114 (अ) जो 12 जनवरी, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 1105(अ) में कतिपय संशोधन करने का आदेश दिया हुआ है।

(50) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एयू/कॉम॰सेक॰/यूनि॰कॉल॰/1140/2008 जो 13 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के परिनियमों में कतिपय संशोधन/लोप किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिस ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिस ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(एक) 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड द्वारा महिलाओं के लिए ऋण सुविधाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन।

(दो) 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

5. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री निखिल कुमार ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) का अड़सठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री मोहम्मद सलीम ने शहरी विकास मंत्रालय की 'भारत सरकार लेखन-सामग्री कार्यालय, (जीआईएसओ) कोलकाता' के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति (2008-2009) का 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डा॰ सुजान चक्रवर्ती ने पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी समिति के 188वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 201वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 148वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री वायालार रवि ने कार्य मंत्रणा समिति का 52वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) मानव संसाधन विकास मंत्री की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) (मांग संख्या 57) के बारे में 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 202वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(तीन) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री की ओर से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 197वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(चार) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) 'कैदियों को सुधारना' के बारे में श्री रनेन बर्मन, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 505 के संबंध में 21.10.2008 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने; और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. झारखण्ड अंतरिम बजट—2009-10

श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए झारखण्ड राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया।

12. अनुदानों की अनुपूरक मांगे (झारखण्ड)—2008-09

श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2008-09 के लिए झारखण्ड राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. सरकारी विधेयक—वापस लिया गया

केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2008

14. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009

(तीन) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रविधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2009

अपराह्न 12.16 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एल॰ राजगोपाल द्वारा ड्राइविंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता नियत करने वाली राजपत्रित अधिसूचना को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री वी॰ के॰ ठुम्मर द्वारा मोटा लिलिया, जिला अमरेली, गुजरात में महुआ-सूरत रेल सेवा का एक हाल्ट बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तन द्वारा गन्ना का सांविधिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री चंद्र शेखर दुबे द्वारा झारखंड में पलामू जिले में निजी क्षेत्र को कोयला खानों के आवंटन रद्द किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री हरिसिंह चावडा द्वारा बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए एक आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक स्कीम तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री थावरचन्द गेहलोत द्वारा पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में उज्जैन-आगार-मालवा-झालावाड़ खण्डों पर रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री गणेश सिंह द्वारा सतना, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर बाईपास बनाए जाने के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 और 75 के चौड़ा किए जाने और उसकी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों के लिए 'एक रैंक-एक पेंशन' सूत्र लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री हंसराज गं॰ अहीर द्वारा महाराष्ट्र में इंदिरा सागर गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री पी॰ राजेन्द्रन द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर कोल्लम बाईपास के तीसरे और चौथे चरण के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री बंसगोपाल चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल में पानागढ़ बाईपास बनाए जाने के अलावा धनबाद से दान्कुनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर विस्तार कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा उत्तर प्रदेश में देवरिया, बलिया और कुशीनगर जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री रामजीलाल सुमन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाने तथा विद्यमान ग्रामीण बैंकों को समुचित निर्णय लेने की शक्तियां और सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डा॰ धीरेन्द्र अग्रवाल द्वारा झारखंड में नक्सलवाद रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री रमेश दूबे द्वारा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में पटना-राजधानी एक्सप्रेस (2309-2310) का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री ई॰ जी॰ सुगावनम द्वारा कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में बारुगूर में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोले जाने और बैंकिंग सुविधाएं सुधारे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डा॰ आर॰ सेनथिल द्वारा स्वास्थ्य पर बीटी बैंगन, एक जी एम खाद्य फसल के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए देश में इसके उत्पादन पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई द्वारा तमिलनाडु में विरुधुनगर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री छेवांग थुपस्तन द्वारा जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं बहाल करने के लिए एक वैकल्पिक सैटेलाइट संचार सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.17 बजे

16. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत किया गया समय : 8 घंटे
लिया गया समय : 6 घंटे 4 मिनट
शेष : 1 घंटा 56 मिनट

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत् लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 12 फरवरी, 2009 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।' ''

#श्री मधुसूदन मिस्त्री ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे स्थगित हुई तथा अपराह्न 1.50 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 1.50 बजे

एक सौ इक्कीस (संख्या 30 से 99, 151 से 170 और 196—226) संशोधन पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
2. श्री मोहम्मद सलीम
3. श्री मोहन सिंह
4. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
5. श्री ए॰ कृष्णास्वामी
6. श्री अनंत गंगाराम गीते
7. श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन
8. श्री तथागत सत्पथी
9. श्री अधीर चौधरी

#अपराह्न 1.50 बजे अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

10. श्री थावरचन्द गेहलोत

11. श्री एल॰ गणेशन

12. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 7.11 बजे

(लोक सभा बुधवार, 18 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—780LS—17.02.2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 18 फरवरी, 2009/29 माघ, 1930 (शक)

संख्या 327

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 41—45 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 46—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 148—282 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 17(अ) जो 7 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 2008 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) पूर्ववर्त्ती-बम्बई डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्ववर्त्ती-बम्बई डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, मुम्बई के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, मुम्बई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) सामान्य वित्तीय नियम, 2005 की धारा 212 की उपधारा (2) के अधीन रिसर्च एण्ड इन्फार्मेशन सिस्टम फार डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के वर्ष 1999-2000 से 2006-2007 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसीन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसीन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 27 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 755(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 10 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 780(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2009 जो 22 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 46(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(17) उपर्युक्त (16) की मद संख्या (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2678(अ) जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की उसमें उल्लिखित विभिन्न धाराओं के उपबंधों के प्रवृत होने की तारीख 18 नवम्बर, 2008 नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) राष्ट्रीय अरोग्य निधि (नेशनल इलनेस असिस्टेन्स फण्ड), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेशनल इंस्टि्टयूट ऑफ यूनानी मेडिसीन, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टि्टयूट ऑफ यूनानी मेडिसीन, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2472(अ) और का॰आ॰ 2473(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग-नागपुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2721(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (धुले-पिम्पलगांव खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2720(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-धुले और वादापी-गोंडे खण्डों) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2574(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2575(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 3001(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-किरतपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 2699(अ) जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II (ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे) (फरीदाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 2722(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1166(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का॰आ॰ 2883(अ) जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (वादापी-गोंडे खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 2902(अ) जो 16 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन और बाइपास के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 31(अ) और का॰आ॰ 34(अ) जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 2640(अ) जो 12 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलोर-ओल्ड मद्रास रोड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए पुल के नीचे सड़क के अतिरिक्त निकास मार्ग के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 2641(अ) जो 12 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वनियामपाड़ा-त्रिसूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का०आ० 2711(अ) जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नीलमंगला–हासन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का०आ० 2740(अ) जो 26 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 (कोझीकोड–कोलेगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए काबिनी नदी के ऊपर बड़े पुल के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का०आ० 2741(अ) जो 26 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव–कोटपुतली–जयपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का०आ० 3010(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 528(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का०आ० 2933(अ) जो 19 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ–जयपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का०आ० 2882(अ) जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर–महुआ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का०आ० 06(अ) जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बड़ोदरा–सूरत खण्ड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2838(अ) से का॰आ॰ 2840(अ) जो 4 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (फतेहपुर-पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 08(अ) और का॰आ॰ 09(अ) जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 22(अ) जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (धौलपुर-मुरैना खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 2(अ) जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (गुवाहाटी-नलबाड़ी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 5(अ) जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग (श्रीरामपुर-चम्पामती खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 218(अ) जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 219(अ) जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जनवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 116(अ) को निरस्त किया गया है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 2579(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 के निर्माण (चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के

लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारियों के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 394(अ) जो 3 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारियों के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 113(अ) जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2153(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का॰आ॰ 145(अ) जो 14 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 7(अ) जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2015(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का॰आ॰ 2990(अ) जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 30 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1884(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 2991(अ) जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 137(अ) और का॰आ॰ 138(अ) जो 14 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-कीरतपुर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 139(अ) और का॰आ॰ 140(अ) जो 14 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 2586(अ) जो 3 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली राजधानी राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 2825(अ) जो 1 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन॰ई॰-II {ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (गौतम बुद्ध नगर खण्ड)} के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 2868(अ) जो 12 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (जाजमऊ गंगा पुल से रमादेवी आर॰ओ॰बी॰ खंड तक) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 2919(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन॰ई॰-II {ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (गौतम बुद्ध नगर खण्ड)} के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(23) उपर्युक्त (22) की मद संख्या (सत्ताईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008, जो 5 दिसम्बर, 2008 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 838(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2009, जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 37 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (ऑल इंडिया परमिट फॉर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स) संशोधन नियम, 2009, जो 30 जनवरी, 2009 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 58(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(27) (एक) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2008, जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 716(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2008, जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 717(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2008, जो 23 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 748(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2008, जो 23 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 749(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 2008, जो 3 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 765(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2008, जो 3 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 766(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) बारहवां संशोधन विनियम, 2008, जो 12 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 855(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2008, जो 12 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 856(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तेरहवां संशोधन विनियम, 2008, जो 18 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 862(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2008, जो 18 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 863(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पंद्रहवां संशोधन विनियम, 2008, जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 898(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 2008, जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 899(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौदहवां संशोधन विनियम, 2008, जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 900(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2008, जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 901(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2008, जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 902(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2008, जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 903(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(29) उपर्युक्त (28) की मद संख्या (एक) से (छ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) दसवीं, बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

दसवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या - सैंतालीस	छठा सत्र, 1993
2.	विवरण संख्या - सैंतीस	नौवां सत्र, 1994
3.	विवरण संख्या - चालीस	तेरहवां सत्र, 1995

बारहवीं लोक सभा

4.	विवरण संख्या - चालीस	चौथा सत्र, 1999

तेरहवीं लोक सभा

5.	विवरण संख्या - पैंतालीस	तीसरा सत्र, 2000
6.	विवरण संख्या - छत्तीस	पांचवां सत्र, 2000
7.	विवरण संख्या - इकतीस	नौवां सत्र, 2002
8.	विवरण संख्या - अट्ठाईस	दसवां सत्र, 2002
9.	विवरण संख्या - चौबीस	ग्यारहवां सत्र, 2002
10.	विवरण संख्या - पच्चीस	बारहवां सत्र, 2003
11.	विवरण संख्या - बाईस	तेरहवां सत्र, 2003
12.	विवरण संख्या - इक्कीस	चौदहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

13.	विवरण संख्या – अठारह	दूसरा सत्र, 2004
14.	विवरण संख्या – सोलह	तीसरा सत्र, 2004
15.	विवरण संख्या – सोलह	चौथा सत्र, 2005
16.	विवरण संख्या – चौदह	पांचवा सत्र, 2005
17.	विवरण संख्या – तेरह	छठा सत्र, 2005
18.	विवरण संख्या – बारह	सातवां सत्र, 2006
19.	विवरण संख्या – दस	आठवां सत्र, 2006
20.	विवरण संख्या – नौ	नौवां सत्र, 2006
21.	विवरण संख्या – आठ	दसवां सत्र, 2007
22.	विवरण संख्या – छह	ग्यारहवां सत्र, 2007
23.	विवरण संख्या – पांच	बारहवां सत्र, 2007
24.	विवरण संख्या – तीन	तेरहवां सत्र, 2008
25.	विवरण संख्या – एक	चौदहवां सत्र, 2008

(31) (एक) इम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाईनान्स मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाईनान्स मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेनवैट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 908 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेनवैट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 5 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 836 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 882(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2008 को जारी अधिसूचना संख्या 14/2008 के॰उ॰शु॰ (एनटी) को अधिक्रमित करना है ताकि ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की लागू दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप खुदरा मूल्य आधार पर उत्पाद पर शुल्क लगाए जाने वाली वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाए जाने के प्रयोजनार्थ 24.12.2008 से उपशमन दरें निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 837(अ) जो 5 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 3/2005–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 840(अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 10 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 841(अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित वस्तुओं पर उत्पाद–शुल्क कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 884(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर स्प्रिट, जब इन्हें 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के विनिर्माण में उपयोग किया जाना हो, को विनिर्माता द्वारा किसी स्वतंत्र क्रेता को बेचे गए मोटर स्प्रिट पर लगाए जाने वाले शुल्क से अधिक शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 885(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल और इथेनॉल से विनिर्मित 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 886(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 28/2002–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 887(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 19(अ) जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 8/2004-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 826(अ) जो 1 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के॰उ॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(33) उपर्युक्त (32) की मद संख्या (तेरह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा॰का॰नि॰ 831(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित होने वाले सभी स्वरूप और क्षमता में काला गंधक के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 848(अ) जो 10 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 86/2007-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 853(अ) जो 12 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित होने वाले उसमें उल्लिखित रबर रसायन के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 869(अ) जो 22 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट पार्टियों द्वारा उत्पादित और निर्यातित विट्रीफाइड और प्रोसिलेन टाइल्स के आयात को लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क से अनंतिम रूप से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 881(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 30/2008–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 889(अ) जो 26 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोआक्साइड के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 909(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट रिव्यू जांच का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक 23 जुलाई, 2009 तक और सहित चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, चीनी ताइपेई और ब्राजील में उद्भूत, या वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पॉलीयोल के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की लेवी का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 5(अ) जो 2 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 14(अ) जो 6 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सनसेट रिव्यू जांच के अंतिम निर्णय में अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया में उद्भूत, या वहां से निर्यातित फ्लोट ग्लास के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 15(अ) जो 6 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सनसेट रिव्यू जांच के अंतिम निर्णय में अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत, या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित मलबेरी रॉ सिल्क के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 30(अ) जो 15 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत, या वहां से निर्यातित मेलामाईन के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट रिव्यू जांच को अंतिम रूप दिए जाने तक 1 अक्तूबर, 2009 तक उसके समेत, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 47(अ) जो 22 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग और चीन ताइपेई में उद्भूत या वहां से निर्यातित सभी प्रकार के डिजीटल वर्सेटाईल डिस्क्स रिकॉर्डेबल पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 55(अ) जो 29 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में आयातित फिथैलिक एनहाईड्राईड पर अनन्तिम सुरक्षा शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(35) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 842(अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 843(अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय लौह अयस्क फाइन्स पर निर्यात शुल्क दर को 8% यथामूल्य से कम करके शुन्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 844(अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 79/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 845(अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 116/2008-सी॰शु॰ को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 6(अ) जो 2 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 36(अ) जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 816(अ) जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित 8 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 878(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों में कॉमन सर्विस प्रदायकों के लिए निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम को प्रचालनात्मक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 7(अ) जो 2 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 103/2008-सी॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 67(अ) जो 2 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 66/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 71(अ) जो 3 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का॰आ॰ 2893(अ) जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 23 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2963 (अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का॰आ॰ 2985(अ) जो 29 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यात वस्तुओं के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का॰आ॰ 3012(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 359(अ) जो 28 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यात वस्तुओं के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का॰आ॰ 380(अ) जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(36) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 839(अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 41/2007-सेवा कर में कतिपय संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 10(अ) जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल परिवहन अभिकरणों को प्रदान किए जाते समय उनमें उल्लिखित 8 सेवाओं को कतिपय शर्तों के अध्यधीन सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 18(अ) जो 7 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्मित पुर्जों को जिस कारखाने में वे उत्पादित

किए गए हैं, उनमें प्रयोग करते समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के अंतर्गत छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(37) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2008 जो 22 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2499(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2008 जो 11 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2861(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 22 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2949(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2008 जो 23 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2959 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2009 जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 19 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 20 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 21(अ) जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नेशनल हाऊसिंग बैंक (कर बचत) सावधि निक्षेप स्कीम, 2008 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ग की उपधारा (2) के खण्ड (पन्द्रह) के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 197 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(38) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टैट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टैंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(39) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 केअंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति) (सातवां संशोधन) विनियम, 2008 जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5-4/2000-एएण्डपी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) नेशनल बायोडावर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बायोडावर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 120 (अ) जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2708 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(47) विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी विनिमय प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (संशोधन), विनियम, 2008 जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 676 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी विनिमय प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (दूसरा संशोधन), विनियम, 2008 जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 756 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी विनिमय प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (दूसरा संशोधन), विनियम, 2008 जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 896 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(48) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिन्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिन्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1956 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में पब्लिक शेयरधारिता वृद्धि तथा बनाए रखने की रीति) (संशोधन) विनियम, 2008 जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडीएनआरओ/जीएन/2008/30/148262 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों तथा टेकओवरों का पर्याप्त अर्जन) (संशोधन) विनियम, 2009 जो दिनांक 28 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में एफ० संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008-09/33/15022 में प्रकाशित हुए थे।

(51) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) 'लुई ब्रेल (1809—2009) की दूसरी जन्म-शती' के अवसर की स्मृति में ढाले गए सौ रुपए और दो सौ रुपए नियम, 2008 जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 897(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) 'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' की स्मृति में ढाले गए पांच रुपए का सिक्का निर्माण नियम, 2008 जो 11 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 781(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) 'अशोक स्तंभ' विषय पर ढाले गए पांच रुपए का निकेल-ब्रास सिक्का निर्माण नियम, 2009 जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 38 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(52) ऋण सूचना कंपनी (विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत ऋण सूचना कंपनी (विनियमन कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2008 (2008 का 2) जो 20 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 3336 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 165 जो 6 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 589 (अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि 16 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने 23 दिसम्बर, 2008 को लोक सभा द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2009 को संशोधनों सहित पारित किया तथा इस अनुरोध के साथ वापस कर दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचित किया जाए।

5. **राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया**

महासचिव ने राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2009 सभा पटल पर रखा।

6. **लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन**

श्री संतोष गंगवार ने लोक लेखा समिति (2008-2009) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ''भारतीय वायुसेना में विमान बेड़े के प्रचालन और अनुरक्षण'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 81वां प्रतिवेदन।

(2) ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 72वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 82वां प्रतिवेदन।

7. **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री रूपचन्द पाल ने रिपोर्ट सं० सीए 2008 का 11 के अध्याय सात के लेखापरीक्षा पैरा 7.1.1 पर आधारित भारतीय खाद्य निगम के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 35वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का विवरण

श्री रूपचन्द पाल ने बीमा कंपनियों द्वारा मोबाईल हैंड सेटों संबंधी विशेष आकस्मिक नीतियों के बारे में 24वीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाते हुए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति कि की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रूपचंद मुर्मू ने 'अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएससी)–इसके अधिदेश और उपलब्धियां–इसके संगठन और कार्यकरण की पुनरीक्षा' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की।

10. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने 'प्रसार भारती में महिलाओं के कार्य की दशा' विषय के संबंध में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2008-09) का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री मोहन सिंह ने 'नाशक जीवमार प्रबंध विधेयक, 2008' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का 42वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री निखिल कुमार ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (1998-1999)' के बारे में पहली की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (1999-2000)' के बारे में दूसरी की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट

सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2001-2002)' के बारे में तीसवीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2003-2004)' के बारे में तिरसठवीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'प्रसार भारती की भूमिका और इसकी भावी स्थिति' के बारे में साठवीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(6) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'बुनियादी दूरसंचार सेवा के टेलीफोन टैरिफ में वृद्धि के बारे में दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें' के बारे में पांचवीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का कार्यकरण' के बारे में 53वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(8) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'डीओटी/बीएसएनएल/एमटीएनएल में शिकायत निपटान तंत्र' के बारे में 54वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(9) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'नियत सेवा प्रदाताओं के लिए डब्ल्यूएलएल के माध्यम से सीमित संचालन' के बारे में

35वीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(10) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2007-2008)' के बारे में 52वीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(11) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2002-2003)' के बारे में 44वीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(12) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2004-2005)' के बारे में 12वीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(13) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2007-2008)' के बारे में 53वीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(14) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की 'डाक विभाग में रियल एस्टेट प्रबंधन' के बारे में 59वीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(15) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की 'ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का कार्यान्वयन' के बारे में 37वीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही

और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

13. **ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री गुरुदास कामत ने 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का कार्यान्वयन' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

14. **मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री रवि प्रकाश वर्मा ने 'नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बालकों के अधिकार विधेयक, 2008' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 213वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीं।

15. **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

डा॰ करण सिंह यादव ने तीन वैक्सिन उत्पादक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई), कसौली, पास्चर इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (पीआईआई), कूनूर और बीसीजी वैक्सिन लेबोरेटरी (बीसीजीवीएल), चेन्नई के कार्यकरण के बारे में विभागों से सम्बद्ध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 34वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

16. **कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

डा॰ सी॰ कृष्णन ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में 33वां प्रतिवेदन; और

(2) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008 के बारे में 34वां विधेयक।

अपराह्न 12.08 बजे

17. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

(एक) विदेश मंत्री और वित्त मंत्री ने श्रीलंका में स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(दो) विदेश मंत्री और वित्त मंत्री ने 'पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय' के बारे में सर्वश्री हरि सिंह चावड़ा, शैलेन्द्र कुमार और बृजकिशोर त्रिपाठी, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1742 के 10.12.2008 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किए जाने के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*18. **श्रीलंका की स्थिति के बारे में विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर स्पष्टीकरण**

अध्यक्षपीठ की अनुमति से निम्नलिखित सदस्यों ने श्रीलंका की स्थिति के बारे में विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर स्पष्टीकरण की मांग की:

(1) डा॰ आर॰ सेनथिल

(2) श्री ई॰ पोन्नुस्वामी

(3) डा॰ सी॰ कृष्णन

(4) श्री ई॰वी॰के॰एस॰ इलेंगोवन

श्री प्रणव मुखर्जी ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

19. **प्रस्ताव**

श्री वायालार रवि ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 17 फरवरी, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 52वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

20. **अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)**

श्री पवन कुमार बंसल ने वर्ष 2008-2009 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

21 **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री अधीर चौधरी द्वारा हजारद्वारी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाए जाने तथा पश्चिम बंगाल के दमदम और बैरकपुर में उसका ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 2.04 बजे

(2) श्री जीवभाई ए॰ पटेल द्वारा 'आश्रम मेल' का गुजरात के ऊंझा में ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एस॰ के॰ खारवेनथन द्वारा तमिलनाडु के पलानी हिल और कोडाईकनाल हिल को जोड़ने वाली रोप कार परियोजना के लिए निधियां मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) चौधरी लाल सिंह द्वारा बगलिहार परियोजना के कारण सड़कों की डूब की समस्या का सामना कर रहे जम्मू और कश्मीर के डोडा, रामबन, किश्तवाड़ जिलों को बी॰आर॰ओ॰/जी॰आर॰ई॰एफ॰ द्वारा वैकल्पिक सड़क मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा गुंटुर में लाल मिर्च आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना किए जाने तथा आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च किसानों के लिए कल्याणकारी उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर द्वारा गुजरात के साबरकंठा जिले के हिम्मतनगर में आकाशवाणी केन्द्र का प्रचालन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री काशीराम राणा द्वारा वैश्विक आर्थिक मंदी का सामना कर रहे सूरत, गुजरात के हीरा उद्योग के पुनरुत्थान के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डा॰ वल्लभभाई कथीरिया द्वारा गुजरात में पोरबंदर और राजकोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 8-ख पर सर्विस रोड़, ऊपरिपुल और अन्य विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) प्रो॰ रासा सिंह रावत द्वारा राजस्थान के अजमेर में एक अवाई अड्डा स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डा॰ के॰ एस॰ मनोज द्वारा ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम (डीईपीबी) का लाभ कॅयर क्षेत्र को दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भरवारी और सिराथू रेलवे स्टेशनों में ठहराव सहित इलाहाबाद और मुम्बई के बीच बरास्ता कानपुर एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री गिरिधारी यादव द्वारा बिहार के बांका संसदीय क्षेत्र के बीड़ी कर्मकारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री सी॰ कुप्पुसामी द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का लाभ देश के ग्रामीण डाक सेवकों को दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री अनंत गंगाराम गीते द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से नवम्बर, 1997 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन को अद्यतन कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पर्यटन अवसंरचना विकसित किए जाने हेतु निधियां मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित सुवर्ण रेखा बैराज परियोजना के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री प्रसन्न आचार्य द्वारा उड़ीसा के बारगढ़ जिले के पद्मपुर सब-डिवीजन में ओंग नदी बांध परियोजना के लिए अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश में जी॰एम॰ चावल के फील्ड परीक्षण पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.19 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.46 *बजे पुन:समवेत हुई।)*

अपराह्न 12.46 बजे

22. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लिया गया समय : 8 घंटे 36 मिनट

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव द्वारा 17 फरवरी, 2009 को पेश किए गए तथा श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा अनुमोदन किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:

''कि इस सत्र में समवेत् लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 12 फरवरी, 2009 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) * डा॰ टोकचोम मैन्या

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.51 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.01 बजे पुन:समवेत हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

(2) * श्री एस॰के॰ खारवेनथन

(3) * श्री खगेन दास

(4) * डा॰ के॰एस॰ मनोज

(5) * श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज

(6) * श्री विजय बहुगुणा

(7) * डा॰ सिबैस्टियन पॉल

(8) * श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी

(9) * श्री एम॰ शिवन्ना

(10) ** श्री सुखदेव सिंह ढींडसा

(11) * श्री फ्रांसिस फैन्थम

(12) श्री किरिप चालिहा

(13) * श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा

(14) ** डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

(15) * श्री सूरज सिंह

(16) श्री रामजीलाल सुमन

(17) * श्री ए॰वी॰ बेल्लारमिन

(18) श्री असादूद्दीन ओवेसी

(19) * श्री कीरेन रिजीजू

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

(20)* श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

(21) श्रीमती रंजीत रंजन

(22)* श्री जे॰एम॰ आरून राशिद

(23) श्री मोहन रावले

(24) श्री पी॰सी॰ थामस

(25)** श्रीमती रूपाताई डी॰ पाटील

(26) श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु

(27)* श्री किशन सिंह सांगवान

(28)* श्री हरिसिंह चावड़ा

(29)* डा॰ सी॰ कृष्णन

(30)* श्री हंसराज गं॰ अहीर

(31)* श्री नवीन जिंदल

श्री प्रणब मुखर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया

श्री संतोष गंगवार द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 60, 72, 78 और 81 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पेश किए संशोधन संख्या 215 और 218 पर सभा में मतदान हुआ; $हां: 45 $नहीं: 145. तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुए।

श्री रूपचन्द पाल द्वारा पेश किए संशोधन संख्या 224 पर सभा में मतदान हुआ; $हां: 43 $नहीं: 146 तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुए।

अन्य सभी संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

$शुद्धि के अध्यधीन।

#अपराह्न 5.02 बजे

23. अंतरिम बजट (रेल)—2009-10 लेखानुदानों की मांगें (रेल)—2008-2009; अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)— 2008-09; अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल)—2006-07

लिया गया समय: 5 घंटे 05 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गई—

(एक) अंतरिम बजट (रेल) 2009-10 पर सामान्य चर्चा

(दो) अंतरिम बजट (रेल) 2009-10 के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16

(तीन) 2008-2009 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3 से 13, 15 और 16

(चार) 2006-2007 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों मांग संख्या 1, 10, 15 और 16

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री सैयद शाहनबाज हुसैन

(2)* श्री राम सिंह कस्वां

(3)* श्री हरि केवल प्रसाद

(4)* श्री महावीर भगोरा

(5)* श्री नवीन जिंदल

(6)* श्री रूपचन्द पाल

(7)* श्रीमती मिनाती सेन

(8) डा॰ कर्नल धनी राम शांडिल्य

(9)* श्री भर्तृहरि महताब

(10)* श्री किशन सिंह सांगवान

(11)* श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता

#अपराह्न 4.31 बजे से अपराह्न 5.01 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

(12)* श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे

(13) श्री पी॰ करूणाकरन

(14)* श्री बसुदेव बर्मन

(15)* श्री काशीराम राणा

(16) श्री रामजीलाल सुमन

(17) श्री रमेश दूबे

(18)* श्री भंवर सिंह डांगावास

(19)* श्री घुरन राम

(20) श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

(21)* श्री एस॰ मल्लिकार्जुनैया

(22)* डा॰ सुजान चक्रवर्ती

(23)* श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधू यादव

(24)* डा॰ अरविन्द शर्मा

(25)* श्री के॰सी॰ सिंह "बाबा"

(26)* श्री जय प्रकाश

(27) श्री के॰सी॰ पल्लानी शामी

(28)* श्री सिप्पीपारई रविचन्द्रन

(29)* श्री प्रसन्न आचार्य

(30) श्री अनंत परांजपे

(31)* श्री ए॰के॰एस॰ विजयन

(32)* श्री ई॰ जी॰ सुगावनम

(33) श्री ब्रह्मानन्द पंडा

(34) श्री प्रबोध पाण्डा

(35) श्री कीरेन रिजीजू

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

(36)* श्री प्रकाश जाधव

(37) श्री झांसी लक्ष्मी बोचा

(38) श्रीमती सी॰ एस॰ सुजाता

(39) श्री रेवती रमन सिंह

(40) श्री संतोष गंगवार

(41)* श्री वरकला राधाकृष्णन

(42)* श्री सुनील खां

(43)** चौधरी लाल सिंह

(44)* श्री हंसराज गंगारामजी अहीर

(45) श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज

(46)** श्री एम॰ शिवन्ना

(47) श्री तापिर गाव

(48) श्री जे॰एम॰ आरून राशीद

(49)* श्री पी॰ एस॰ गढ़वी

(50)* श्री पी॰ राजेन्द्रन

(51) श्री सीताराम यादव

(52) श्री हितेन बर्मन

(53)** एडवोकेट पी॰ सती देवी

(54)** श्री राकेश सिंह

(55) चौधरी बिजेन्द्र सिंह

(56) श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन

(57) श्री अबु अयीश मंडल

(58)** श्री निखिल कुमार चौधरी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

(59) ** श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा

(60) श्री रवि प्रकाश वर्मा

(61) श्रीमती सुस्मिता बाउरी

(62) ** श्री डी॰बी॰ पाटील

(63) ** श्री एस॰के॰ खारबेनथन

(64) ** श्री निहाल चन्द

(65) श्री सुभाष महरिया

(66) ** श्रीमती रूपाताई डी॰ पाटील

(67) ** श्री महेश कुमार कनोडीया

(68) ** श्री मोहन रावले

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 10.07 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 19 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

GMGIPMRND—852LS—18.02.2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 19 फरवरी, 2009/30 माघ, 1930 (शक)

संख्या 328

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.16 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

1. **प्रश्न**

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 61—80 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 283—429 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, श्रीनगर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, श्रीनगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्युजियम, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्युजियम, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्युजियम, कोलकाता के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नार्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 2008, जो 22 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 870(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2009, जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 21(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2007, जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 19(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(चार) वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2008, जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 812(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(पांच) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 2008, जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 813(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2544(अ) जो 29 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 2008-2009 की रबी मौसम के दौरान यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्य और संघ राज्य-क्षेत्रों को की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति दर्शाई गयी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, एसएएस नगर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कर्नाटक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कर्नाटक का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(26) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइप लाइन टैरिफ का अवधारण) विनियम, 2008 जो 20 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 807(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन अथवा विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2008 जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 800(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए नेटवर्क टैरिफ का अवधारण तथा सीएनजी के लिए संचूषण प्रभार) संशोधन विनियम, 2008 जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 801(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को गैस पाइप लाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2008 जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 802(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(27) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) दि मोटर स्प्रिट एण्ड हाई स्पीड डीजल (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ मालप्रैक्टिसेज) संशोधन आदेश, 2008 जो 1 जनवरी, 2009

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) केरोसिन (रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज एण्ड फिक्सेशन ऑफ सीलिंग प्राइस) संशोधन आदेश, 2008 जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 2(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(28) भारत सरकार और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच कोल बेड मिथेन के गवेषण और उत्पादन के लिए ब्लाक के रूप में पहचान की गई संविदा क्षेत्र के संबंध में संविदा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. **राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा ने 18 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 अप्रैल, 2008 को पारित विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2008 को संशोधनों सहित पारित कर दिया तथा विधेयक इस अनुरोध के साथ लोक सभा को लौटा दिया कि संशोधनों के बारे में लोक सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को दी जाए।

(दो) कि राज्य सभा 23 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को, श्री अमर सिंह जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, के स्थान पर नामित करने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और साथ ही राज्य सभा के सदस्य श्री अमर सिंह के नाम की सूचना दी, जिन्हें उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया था।

(तीन) कि राज्य सभा 23 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति की शेष अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को, श्री वीर सिंह जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, के स्थान पर नामित करने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और साथ ही राज्य सभा के सदस्य श्री अंबेथ राजन के नाम की सूचना दी, जिन्हें उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया था।

4. **राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया**

महासचिव ने विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2009, जिसे राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ वापस किया गया था, को सभा पटल पर रखा।

5. खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डा॰ सत्यनारायण जटिया ने "खान और खनिज (विकास और विनियम) संशोधन विधेयक, 2008" के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री वायालार रवि ने कार्य मंत्रणा समिति का 53वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) गुजरात में नई रेल लाइन के बारे में सर्वश्री महेश कनोडीया, हरिन पाठक, भूपेन्द्र सिंह सोलंकी, श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर, संसद सदस्यों के अतारांकित प्रश्न संख्या 1963 के 11 दिसम्बर, 2008 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी का पूरा हिस्सा राजस्थान के लिए जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा पान के पत्तों को कृषि फसल के रूप में घोषित किए जाने तथा इसे फसल बीमा और कृषि क्षेत्र की अन्य स्कीमों के लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री महावीर भगोरा द्वारा डीडीए और दिल्ली की विभिन्न सहकारी आवास समितियों द्वारा निर्मित आवासीय इकाइयों के लिए ड्रॉ निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री पुष्प जैन द्वारा पाली, राजस्थान में राजधानी एक्सप्रेस सहित महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सोहन पोटाई द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य की 'नमोसुध बंगाली' और 'महारा' और 'महर' जातियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा केरल में कोचि मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सुनील खां द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए नए आर्थिक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राजनारायण बुधौलिया द्वारा उत्तर प्रदेश में हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हमीरपुर और महोबा जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रामकृपाल यादव द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि पेंशन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी द्वारा असम के करबी-आंगगलांग और नॉर्थ कछार हिल ऑटोनोमस जिलों में रहने वाले बोडो-कछारी लोगों को भी असम की अनुसूचित जनजाति (हिल्स) सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.06 बजे

10. अंतरिम बजट (रेल)—2009-10; लेखानुदानों की मांगें (रेल)—2009-2010; अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—2008-09; अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2006-07

लिया गया समय : 5 घंटे 30 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा जारी रही:—

(एक) अंतरिम बजट (रेल) 2009-10 पर सामान्य चर्चा।

(दो) अंतरिम बजट (रेल) 2009-10 के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16

(तीन) 2008-2009 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3 से 13, 15 और 16

(चार) 2006-07 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 1,10, 15 और 16

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे:—

1. श्री रायापति सांबासिवा राव

2. श्री वीरेन्द्र कुमार
3. श्री अब्दुल्ला कुट्टी
4. श्री अशोक कुमार प्रधान
5. डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय

श्री लालू प्रसाद ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2009-10 के लिए लेखानुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए अंतरिम बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 16 पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1, 3 से 13, 15 और 16 पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2006-07 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए अतिरिक्त अनुदानों की सभी मांग संख्या 1, 10, 15 और 16 पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

11. **सरकारी विधेयक—पुर: स्थापित**

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2009

12. **सरकारी विधेयक—पारित**

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2009

श्री लालू प्रसाद द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री लालू प्रसाद द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

13. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

विनियोग (रेल) विधेयक, 2009

14. **सरकारी विधेयक—पारित**

विनियोग (रेल) विधेयक, 2009

श्री लालू प्रसाद द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री लालू प्रसाद द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

15. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2009

16. **सरकारी विधेयक—पारित**

विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2009

श्री लालू प्रसाद द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री लालू प्रसाद द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 12.34 बजे

17*. **सांविधिक संकल्प—स्वीकृत**

लिया गया समय : 8 मिनट

डा॰ शकील अहमद ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 19 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।''

संकल्प स्वीकृत हुआ।

18* **झारखंड अंतरिम बजट—2009-10**

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा की गई:—

(एक) वर्ष 2009-10 के झारखंड राज्य के अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा;

---

*एक साथ चर्चा की गई।

(दो) वर्ष 2009-10 के झारखंड राज्य के बजट के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33, 35 से 44 और 46 से 52; और

(तीन) वर्ष 2008-09 के झारखंड राज्य के बजट के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33, 35 से 44 और 46 से 52।

झारखंड राज्य के अंतरिम बजट के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांगें संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33, 35 से 44 और 46 से 52 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2009-10 के लिए लेखानुदानों की मांगों (झारखंड) की मुद्रित सूची के स्तम्भ संख्या 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33, 35 से 44 और 46 से 52 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (झारखंड) की मुद्रित सूची के स्तम्भ संख्या 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

19. **सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित**

झारखंड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009

20. **सरकारी विधेयक—पारित**

झारखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

21. **सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित**

झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2009

22. **सरकारी विधेयक—पारित**

झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2009

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(लोक सभा अपराह्न 12.59 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.05 बजे

#23. **सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत**

लिया गया समय : 1 घंटा 58 मिनट

श्री वरकला राधाकृष्णन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा 9 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा 24 में यथानिर्दिष्ट संकल्प अस्वीकृत हुआ।

#24. **सरकारी विधेयक—पारित**

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008

विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव श्री हंसराज भारद्वाज द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (उपर्युक्त पैरा 23 के जरिए) और विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) प्रो॰ रासा सिंह रावत

(2) श्री एस॰के॰ खारवेनथन

(3) श्री प्रसन्न आचार्य

(4) श्री रेवती रमन सिंह

(5) श्री अजय चक्रवर्ती

(6) श्री बची सिंह रावत 'बचदा'

(7) श्री विजय बहुगुणा

(8) डा॰ सिबैस्टियन पॉल

#एक साथ चर्चा की गई।

(9) एडवोकेट पी॰ सतीदेवी

(10) श्री रामदास बंडु आठवले

(11) श्रीमती तेजस्वनी गौडा

श्री हंसराज भारद्वाज ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 13 स्वीकृत हुए।

श्री हंसराज भारद्वाज ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, उच्च न्यायालय और उच्च्तम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 14 को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14 भी स्वीकृत हुआ।

श्री हंसराज भारद्वाज ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 4 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 15 को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 15 भी स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री हंसराज भारद्वाज द्वारा प्रस्ताव किया गया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपराह्न 4.04 बजे

25. **सरकारी विधेयक—पारित**

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2009

लिया गया समय : 1 घंटा 41 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री एस॰ जयपाल रेड्डी द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री सैयद शाहनबाज हुसैन

(2) श्री सज्जन कुमार

(3) श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

(4) श्री सुधांशु सील

(5) श्री बृज किशोर त्रिपाठी

(6) श्रीमती कृष्णा तीरथ

(7) श्री पी॰सी॰ थामस

(8) श्री जगदीश टाइटलर

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी की ओर से श्री अजय माकन ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अजय माकन द्वारा प्रस्ताव किया गया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 5.45 बजे

$26. **सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया**

लिया गया समय : 2 घंटे 49 मिनट

प्रो॰ रासा सिंह रावत ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

"कि यह सभा 15 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

चर्चा के पश्चात् , निम्नलिखित पैरा 27 में यथानिर्दिष्ट संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

$27. **सरकारी विधेयक—पारित**

केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2008

विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव श्री अर्जुन सिंह की ओर से श्रीमती डी॰ पुरन्देश्वरी द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (उपर्युक्त पैरा 26 के जरिए) और विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया—

1. श्री एस॰के॰ खारवेनथन
2. श्री बसुदेव बर्मन
3. श्री रामजीलाल सुमन
4. श्री रामकृपाल यादव
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी
7. श्री बची सिंह रावत 'बचदा'
8.* श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद
9. श्री बालासाहेब विखे पाटील
10. श्री पी॰सी॰ थामस
11. श्री पी॰ राजेन्द्रन
12.* श्री गिरधर गमांग
13. श्री वीरेन्द्र कुमार
14. श्री के॰सी॰ सिंह 'बाबा'

$एक साथ चर्चा की गई।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

15. श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज
16. प्रो॰ चन्द्र कुमार
17. श्री आलोक कुमार मेहता
18. श्रीमती तेजस्विनी गौडा
19.@ श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी
20. श्री वरकला राधाकृष्णन

श्रीमती डी॰ पुरन्देश्वरी ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 27 स्वीकृत हुए।

खंड 28 स्वीकृत हुआ।

खंड 29 से 45 स्वीकृत हुए।

खंड 46 स्वीकृत हुआ।

खंड 47 स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती डी॰ पुरन्देश्वरी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

***रात्रि 9.07 बजे**

(लोक सभा शुक्रवार, 20 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

@उन्होंने अपने लिखित भाषण के कुछ अंश भी सभा पटल पर रखे।

*रात्रि 8.34 बजे से रात्रि 9.07 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—920LS—19.02.2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 20 फरवरी, 2009/1 फाल्गुन, 1930 (शक)

संख्या 329

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 81—85 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 86—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 430—501 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी, के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी, के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1(अ) जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में कार्यरत अकुशल कर्मकारों को संदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसमें उल्लिखित मजदूरी की दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सेन्ट्रल एडाप्शन रिर्सोस एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल एडाप्शन रिर्सोस एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सेन्ट्रल एडाप्शन रिर्सोस एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल एडाप्शन रिर्सोस एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2008 जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 880(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2008 जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 879(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (2008 का संख्यांक पीए 19)-वैज्ञानिक विभाग-प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (फ्रंट-इंड ऑफ

द न्यूक्लियर फ्यूल साइकल) के लिए ईंधन प्रबंधन संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा।

(दो) मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (वर्ष 2007-2008 का संख्यांक सीए संख्या 13)—संघ सरकार के लेखे।

(16) संघ सरकार — वर्ष 2007-2008 के लिए वित्तीय लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) संघ सरकार — वर्ष 2007-2008 के लिए विनियोग लेखे (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) संघ सरकार — वर्ष 2007-2008 के लिए विनियोग लेखे (डाक सेवायें) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) संघ सरकार — वर्ष 2007-2008 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) झारखण्ड सरकार — वर्ष 2007-2008 के लिए वित्तीय लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) झारखण्ड सरकार — वर्ष 2007-2008 के लिए विनियोग लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (टर्म्स एण्ड कंडीशन ऑफ टैरिफ) रेगुलेशन्स, 2009 जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा ने 19 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित कर दिया है।

(दो) कि राज्य सभा ने 19 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित कर दिया है।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

(एक) *केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2009*

(दो) *धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009*

6. विधेयक पर अनुमति

महासचिव ने चौदहवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के दूसरे भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2008 सभा पटल पर रखा जिसकी सूचना 13 फरवरी, 2009 को सभा में दी गई।

7. लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री संतोष गंगवार ने ''भारतीय रेल में स्वच्छता और सफाई'' के बारे में लोक लेखा समिति (2008-2009) का 83वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. लोक लेखा समिति के विवरण

श्री संतोष गंगवार ने लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) ''29 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय — संचार नेटवर्क'' के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) का 49वां प्रतिवेदन;

(2) ''भारतीय रेल विनियोग लेखे (1997-98)'' के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) का 56वां प्रतिवेदन;

(3) ''केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बारे में'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 46वां प्रतिवेदन;

(4) ''दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निजी अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों के लिए भूमि के आवंटन'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 35वां प्रतिवेदन;

(5) ''एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस से गारन्टी शुल्क की वसूली न होने'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 56वां प्रतिवेदन;

(6) ''फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अंतर्गत खरीदे गए उपकरणों की खरीद में विलम्ब और उनकी उपयोगिता का महत्व न होने'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 59वां प्रतिवेदन;

(7) ''बड़े विनिर्माताओं द्वारा लघु उद्योगों को प्राप्त होने वाली रियायतों को प्राप्त करने'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 68वां प्रतिवेदन;

(8) ''निर्णय लेने में हुए विलंब के कारण परिहार्य व्यय — चेन्नई पत्तन न्यास'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 70वां प्रतिवेदन।

9. **लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन**

श्री निखिलानन्द सर ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. **खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने विधिक माप तौल विधेयक, 2008 के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) का 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. **श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय का 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन–कर्मचारियों की पेंशन स्कीम, 1995' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

1. शहरी विकास मंत्री की ओर से शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

2. ग्रामीण विकास मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) विधवाओं तथा नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पेंशन स्कीमों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का विस्तार।

(तीन) कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 71वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(चार) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित समेकित कम लागत स्वच्छता (आईएलसीएस) योजना के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(पांच) पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.07 बजे

13. **संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.16 बजे

14. **प्रस्ताव**

श्री वायालार रवि ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 19 फरवरी, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 53वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. **सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित**

मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009

अपराह्न 12.18 बजे

16. **ध्यानाकर्षण**

श्री गुरुदास दासगुप्त ने देश में संगठित और असंगठित सेक्टरों में कर्मकारों की बड़े पैमाने पर छंटनी, काम बंदी, मजदूरी कटौती तथा सांविधिक प्रसुविधाओं के आहरण से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

* अपराह्न 1.09 बजे

17. **सरकारी विधेयक—पारित**

लिया गया समय : 43 मिनट

पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोग निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2008

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री शरद पवार की ओर से डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संतोष गंगवार
2. श्री बृज किशोर त्रिपाठी

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 45 स्वीकृत हुए।

---

* अपराह्न 12.57 बजे से अपराह्न 1.09 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्ताव किया गया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 1.53 बजे

18. **अंतरिम बजट (सामान्य) — 2009-2010; लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) — 2009-10; अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) — 2008-09.**

आवंटित समय	:	6 घंटे
लिया गया समय	:	4 घंटे 42 मिनट
शेष समय	:	1 घंटे 18 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं:—

(एक) अंतरिम बजट (सामान्य) — 2009-10 पर सामान्य चर्चा;

(दो) वर्ष 2009-10 के अंतरिम बजट (सामान्य) के संबंध में लेखानुदान की मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77 और 79 से 105;

(तीन) वर्ष 2008-2009 के बजट (सामान्य) के संबंध में, अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 2, 3, 6, 8, 10 से 19, 21, 23, 24, 25, 27 से 33, 35, 38 से 43, 46 से 51, 53 से 55, 57 से 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 83 से 88, 90 से 101, 103, 104 और 105.

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनंत कुमार
2. श्री आर॰ प्रभु

3. श्री रूपचंद पाल
4. श्री राम कृपाल यादव
5.* श्री ब्रह्मानन्द पंडा
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी
8. प्रो॰ एम॰ रामदास
9. श्री पी॰ एस॰ गढ़वी
10. श्री विजय बहुगुणा
11. श्री रामदास आठवले
12. श्री तथागत सत्पथी
13. डा॰ सत्यनारायण जटिया
14. श्री आर॰ एल॰ जालप्पा
15. श्री बिक्रम केशरी देव
16. डा॰ टोकचोम मैन्या
17.# श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 6.35 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 24 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

GMGIPMRND—1021LS(S-5)—20-02-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 24 फरवरी, 2009/5 फाल्गुन, 1930 (शक)

संख्या 330

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **अध्यक्ष महोदय द्वारा बधाई**

सभा की ओर से अध्यक्ष महोदय ने ''स्लमडॉग मिलेनियर'' फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले सर्वश्री ए॰आर॰ रहमान, गुलजार और रसूल पूकुट्टी को बधाई दी। उन्होंने ''स्माइल पिंकी'' फिल्म, एक लघु विषय वृत्तचित्र के ऑस्कर जीतने का भी उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 101, 103, 105, 106, 108, 110 और 112 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 102, 104, 107, 109, 111 और 113—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 502 से 567 और 569 से 619 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) टेक्नालाजी इन्फार्मेशन फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नालाजी इन्फार्मेशन फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उप-राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 की धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) उप-राष्ट्रपति पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं (संशोधन) नियम, 2008 जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 59(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उप-राष्ट्रपति पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं (संशोधन) नियम, 2009 जो 10 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 89(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) नियम, 2009 जो 10 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 88(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 2009 जो 10 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 87(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (चिकित्सा संवर्ग 'ग' पदों) भर्ती नियम, 2008 जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 503(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 137 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 289(अ) जो 23 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिरीक्षक को लोक सेवा के लिए लोक सुरक्षा के हित में भारत में पंजीकृत किसी भी प्रचालक से विमान की मांग करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (14) के अधीन बाट और माप मानक (पैकेजयुक्त वस्तु) दूसरा संशोधन नियम, 2008 जो 19 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 865(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) उजाला सोसायटी, सर्व शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उजाला सोसायटी, सर्व शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) उजाला सोसायटी, सर्व शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उजाला सोसायटी, सर्व शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल) संशोधन नियम, 2008 जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 857(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 71 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2581(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पुलिस उपायुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत अपने प्रभाराधीन जिले के संबंध में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के लिए पुलिस आयुक्त, दिल्ली के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) कन्ट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एण्ड ट्रेडमार्क्स, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय बायलर बोर्ड (सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2008 जो 13 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 213 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय बायलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो 13 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 212 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) विश्व भारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्व भारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षणमंडल), आगरा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षणमंडल), आगरा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझीकोड के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझीकोड के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) उपर्युक्त (85) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) उपर्युक्त (87) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) ऑरोविले फाउंडेशन, ऑरोविले के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 371(अ), जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का विशेष उपबंध किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सी-187/ए-3/वीसी-08 जो 9 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिनियमों में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण* की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण* की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) उपर्युक्त (94) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) उपर्युक्त (96) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

---

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 17.2.2009 को सभा पटल पर रखे गए।

(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) उपर्युक्त (98) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(101) उपर्युक्त (100) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(103) उपर्युक्त (102) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) (एक) भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) उपर्युक्त (104) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) (एक) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(107) उपर्युक्त (106) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) (एक) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(109) उपर्युक्त (108) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(110) (एक) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(111) उपर्युक्त (110) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(112) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2009 जो 3 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 72(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 19 फरवरी, 2009 को पारित विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 19 फरवरी, 2009 को पारित विनियोग (रेल) विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 19 फरवरी, 2009 को पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हन्नान मोल्लाह ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किये।

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री एन॰ एन॰ कृष्णदास ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 24वां और 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये।

8. **रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री बालासाहिब विखे पाटील ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'सशस्त्र बलों में मानव संसाधन आयोजना, जनशक्ति की कमी, हाई-टेक प्रशिक्षण और अवसंरचना शामिल किया जाना' के बारे में 34वां प्रतिवेदन।

(2) 'रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 29वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(3) 'सशस्त्र बलों के लिए एकीकृत कमान के कार्यान्वयन की स्थिति' के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

9. **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री जय प्रकाश (हिसार) ने ''केरोसीन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, आपूर्ति, वितरण, डीलरशिप और मूल्य निर्धारण'' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. **परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल ने ''राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा सुविधाओं के विकास'' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 149वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अपराह्न 12.04 बजे

11. **अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

अध्यक्ष ने 20 फरवरी, 2009 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक टिप्पणी की।

अपराह्न 12.08 बजे

12. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(एक) मानव संसाधन विकास मंत्री की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) (मांग सं॰ 57) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 206वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित ग्रामीण आवास योजना के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(तीन) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 85वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

13. **सरकारी विधेयक—वापस लिया गया**

*उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007

14. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

(एक) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधियां) संशोधन विधेयक, 2009।

(दो) भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2009।

(तीन)# उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2009।

15. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री जीवाभाई ए॰ पटेल द्वारा गुजरात के मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा गैस और पेट्रोलियम के अन्वेषण की पद्धति, जिसके कारण इस क्षेत्र में जलस्तर संदूषित और कम हुआ है, की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री एन॰सी॰वी॰ चित्तन द्वारा डिंडीगुल, तमिलनाडु में गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री हरिसिंह चावडा द्वारा बनासकांठा और पालनपुर के बीच स्थानीय रेल सेवा पुन: आरंभ किए जाने; गुजरात मेल का विस्तार पालनपुर तक किए जाने और माउंट आबू-अहमदाबाद-पालनपुर मार्ग पर अतिरिक्त डीईएमयू सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* अपराह्न 3.30 बजे।

\# अपराह्न 3.34 बजे।

(4) श्री चौधरी लाल सिंह द्वारा पश्चिमी पाकिस्तानी/पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों और जम्मू-कश्मीर में रहने वाले छम्ब जोरियान के लोगों को मूलभूत अधिकार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एस॰ के॰ खारवेनथन द्वारा देश में नारियल और पाल्मीरा वृक्षों से नारियल-पाम मिल्क का हर्बल पेय बनाये जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डा॰ करण सिंह यादव द्वारा बहरोड़, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर छह लेन वाली सड़क और फ्लाईओवर के निर्माण के कारण जिन परिवारों की दुकानें तोड़े जानी हैं उनकी आजीविका की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश के सागर और छत्तीसगढ़ जिलों में लौह अयस्क और अन्य खनिज आधारित फैक्टरियां स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री काशीराम राणा द्वारा सरदार सरोवर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा रामगंज-मंडी-भोपाल रेल लाईन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री पी॰ एस॰ गढ़वी द्वारा गुजरात में घादुली-हाजपुर-खावड़ा-संतलपुर और खावड़ा-धोलावीरा सड़कों के निर्माण के लिए गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डा॰ के॰ एस॰ मनोज द्वारा करेल में अलप्पुझा में तट रक्षक स्टेशन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती मिनाती सेन द्वारा बांग्लादेश के चिलहाटी और पार्बतीपुर होते हुए हल्दीबाड़ी और सियालदह के बीच रेल सेवाएं पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री रामजीलाल सुमन द्वारा इलेक्ट्रो-होमियोपैथी को विधिक दर्जा देने वाले एक विधेयक को संसद में लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री राजनरायन बुधौलिया द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों कानपुर-सागर और झांसी-मिर्जापुर खण्डों को विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार चौड़ा किए जाने और उनकी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री राजेश कुमार मांझी द्वारा प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गया, बिहार में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को प्रोत्साहन घटक अनुदान निर्मुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) प्रो॰ एम॰ रामदास द्वारा पुडुचेरी को राज्य के रूप में लेने तथा इसे केन्द्रीय वित्त आयोग की परिधि में लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डा॰ सी॰ कृष्णन द्वारा इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के क्षेत्र का विस्तार करने वाले निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री थुपस्तन छेवांग द्वारा जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के लेह जिले में स्थित सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.11 बजे

16. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) पोलावरम परियोजना के कथित कार्यान्वयन के कारण उड़ीसा के मलकानगिरि जिले में उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं के बारे में।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी ने पोलावरम परियोजना के कथित कार्यान्वयन के कारण उड़ीसा के मलकानगिरि जिले में उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं के बारे में निवेदन किया:—

श्री जय प्रकाश नारायण ने इसका उत्तर दिया।

अपराह्न 12.27 बजे

(दो) डनलप इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को देयों के भुगतान न किए जाने और नियोक्ता द्वारा करार का तथाकथित उल्लंघन किए जाने के बारे में।

श्री रूपचंद पाल ने डनलप इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के देयों के भुगतान न किए जाने और नियोक्ता द्वारा करार का तथाकथित उल्लंघन किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री हन्नान मोल्लाह सहयोजित हुए।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस ने इसका उत्तर दिया।

अपराह्न 12.31 बजे

17. **अंतरिम बजट (सामान्य) — 2009-2010; लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) — 2009-2010; अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2008-09।**

लिया गया समय : 7 घंटे 20 मिनट

कार्य की एक साथ ली गईं निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा जारी रही:—

(एक) अंतरिम बजट (सामान्य)—2009-10 पर सामान्य चर्चा;

---

*अपराह्न 12.11 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(दो) वर्ष 2009-10 के बजट (सामान्य) के बारे में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77 और 79 से 105;

(तीन) वर्ष 2008-2009 के बजट (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 3, 6, 8, 10 से 19, 21, 23 से 25, 27 से 33, 35, 38 से 43, 46 से 51, 53 से 55, 57 से 62, 64, 65, 67 से 69, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 83 से 88, 90 से 101 और 103 से 105।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मोहन रावले
2. श्री किन्जरपु येरननायडु
3.* डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
4.* श्री ए॰के॰एस॰ विजयन
5.* श्री हरिकेवल प्रसाद
6. प्रो॰ चन्द्र कुमार
7.* डा॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी
8. श्री काशी राम राणा
9.* श्री फ्रांसिस फैन्थम
10.** श्री सी॰ कुप्पुसामी
11.* श्री किशन सिंह सांगवान
12. श्रीमती रंजीत रंजन
13. श्री बालासाहेब विखे पाटील
14. श्री पी॰सी॰ थामस
15. श्री असादूद्दीन ओवेसी
16. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु
17. डा॰ सुजान चक्रवर्ती
18.** श्री निहाल चन्द
19. श्री विजय कृष्ण
20. श्री हरिन पाठक
21.* श्री रायापति सांबासिवा राव
22.* श्रीमती सी॰एस॰ सुजाता
23.* श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण का कुछ अंश सभा पटल पर भी रखा।

24.* श्री हरि सिंह चावड़ा

25. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी

श्री प्रणब मुखर्जी ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हुई।

वर्ष 2009-10 के बजट (सामान्य) के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77 और 79 से 105 वर्ष 2009-10 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के कालम 3 में दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2008-2009 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1 से 3, 6, 8, 10 से 19, 21, 23 से 25, 27 से 33, 35, 38 से 43, 46 से 51, 53 से 55, 57 से 62, 64, 65, 67 से 69, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 83 से 88, 90 से 101 और 103 से 105 वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

18. **सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित**

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009

19. **सरकारी विधेयक — पारित**

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

20. **सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित**

विनियोग विधेयक, 2009

21. **सरकारी विधेयक — पारित**

विनियोग विधेयक, 2009

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.10 बजे

22. **सरकारी विधेयक – पारित**
वित्त विधेयक, 2009

लिया गया समय: 20 मिनट

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
2. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल

श्री प्रणब मुखर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.35 बजे

23. **सरकारी विधेयक – पारित**

लिया गया समय: 1 घंटा 4 मिनट

धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009, राज्य सभा द्वारा यथापारित

श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री लक्ष्मण सिंह
2. श्री रूपचन्द पाल

3. श्री मोहन रावले
4. श्री आलोक कुमार मेहता
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
7. श्री बृज किशोर त्रिपाठी

श्री पवन कुमार बंसल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 13 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 4.40 बजे

24. **सरकारी विधेयक – पारित**

लिया गया समय: 1 घंटा 21 मिनट

मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
2. श्री जगदीश टाइटलर
3. श्री वरकला राधाकृष्णन
4. श्री आलोक कुमार मेहता
5. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु
6. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
7. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी
8. श्री संतोष गंगवार
9. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 17 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

सायं 6.02 बजे

25. **सरकारी विधेयक – विचाराधीन**

लिया गया समय: 1 घंटा 16 मिनट

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री अर्जुन सिंह की ओर से श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. प्रो॰ रासा सिंह रावत
2. श्री जे॰ एम॰ आरून रशीद
3. श्री पी॰ करूणाकरन
4. श्री राम कृपाल यादव
5. श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन
6. श्री चन्द्रकांत खैरे
7. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
8. श्री असादूद्दीन ओवेसी
9. श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज
10. श्री संतोष गंगवार

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

*सायं 7.33 बजे

(लोक सभा बुधवार, 25 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,

महासचिव।

---

*सायं 7.19 बजे से सायं 7.33 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1092LS—24-02-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 25 फरवरी, 2009/6 फाल्गुन, 1930 (शक)

संख्या 331

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 121, 123, 124, और 125 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 122, और 126—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 620—804 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2008, जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 858(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2007-2008 (खण्ड I से III) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ख की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 36(अ) जो 6 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत भारत के प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों को उसमें उल्लिखित अधिकार विनिर्दिष्ट किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वैपकोस लिमिटेड [पहले जिसका नाम वॉटर एण्ड पॉवर कन्सल्टेंसी सर्विसेज (आई) लिमिटेड था], नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वैपकोस लिमिटेड [पहले जिसका नाम वॉटर एण्ड पॉवर कन्सल्टेंसी सर्विसेज (आई) लिमिटेड था], नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बुदूर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बुदूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियम, 2008, जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 417(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद [पैकेजिंग और लेबलिंग (संशोधन) नियम], 2008, जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 693(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद [पैकेजिंग और लेबलिंग (संशोधन) नियम], 2007, जो 29 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 633(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008, जो 15 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 182(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2814(अ) जो 28 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 29 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 693(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नई दिल्ली तपेदिक केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली तपेदिक केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) लाला रामसरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला रामसरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) जनसंख्या स्थिरता कोष (राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेल्फेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेल्फेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज़, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज़, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज़, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स विनियम, 2008, जो 8 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-130-2007 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डेंटल हाइजीनिस्ट्स कोर्स विनियम, 2008, जो 20 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-54-2007 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डेंटल मैकेनिक्स कोर्स विनियम, 2008, जो 20 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-54-2007 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स विनियम (डेंटल मैटीरियल्स), 2008, जो 27 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-130-2007 में प्रकाशित हुई थी।

(38) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1515(अ) जो 23 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एगमोर-नुंगमबाक्कम तालुक के कोयमबेडु और अरूमबक्कम गांव में कोयमबेडु जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1568(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाली चेन्नई बाईपास (फेज-दो) के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1633(अ) जो 8 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1638(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1943(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का॰आ॰ 1642(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1902(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 1643(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 115(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का॰आ॰ 1644(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1738(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का॰आ॰ 1648(अ) जो 10 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने

आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1650(अ) जो 10 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (विस्तार) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1731(अ) जो 21 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1582(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1733(अ) जो 21 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावूर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1749(अ) जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपासों (सेलम-कोयंबटूर खण्ड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 1877(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 497(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का॰आ॰ 1878(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 2055(अ) जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (करूर-कोयंबटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 2069(अ) जो 19 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1436(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का॰आ॰ 2087(अ) जो 22 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 2136(अ) और का॰आ॰ 2137(अ) जो 29 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरप्पुकोट्टई-थूथुकुड्डी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 2138(अ) जो 29 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 2139(अ) और का॰आ॰ 2140(अ) जो 29 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पांडिचेरी-टिंडीवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2277(अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचना में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का॰आ॰ 2178(अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावूर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 2183(अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लूपूरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 1564(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुनडूरपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 1625(अ) जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 1632(अ) जो 8 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 1640(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलूनडुरपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 1641(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावूर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 1732(अ) जो 21 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपासों सहित) (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 1734(अ) जो 21 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावूर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 1750(अ) जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 1837(अ) जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 1870(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावूर-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 1885(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 1886(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 299(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1895(अ) से का॰आ॰ 1897(अ) जो 31 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख के विभिन्न भागों (मदुरै-अरप्पुकोट्टई-थूथुकुड्डी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 1898(अ) जो 31 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1899(अ) जो 31 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 2723(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 2725(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 2735(अ) जो 26 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (करूर-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 2811(अ) जो 28 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विलुपूरम-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 2830(अ) और का॰आ॰ 2831(अ) जो 2 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के विभिन्न भागों (त्रिची-डिंडीगल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौवालीस) का०आ० 2836(अ) जो 3 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरुचिरापल्ली-विरालीमलाई-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंतालीस) का०आ० 2837(अ) जो 3 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छियालीस) का०आ० 2917(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सलेम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सैंतालीस) का०आ० 2914(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़तालीस) का०आ० 2915(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनचास) का०आ० 2916(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचास) का०आ० 2918(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67

(तंजावूर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 3002(अ) और का॰आ॰ 3003(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 के विभिन्न भागों (सेलम-उलुनदुरपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 11(अ) जो 2 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिरपन) का॰आ॰ 2369(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरप्पुकोट्टई-थूथुक्कुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 2444(अ) जो 14 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 2464(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरूचिरापल्ली-विरालीमलई-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 2469(अ) से 2471(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन

वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्तावन) का०आ० 2474(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयंबटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठावन) का०आ० 2475(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनसठ) का०आ० 2507(अ) जो 23 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(साठ) का०आ० 2508(अ) जो 23 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-त्रिची खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकसठ) का०आ० 2521(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पुडुचेरी-टिंडीवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बासठ) का०आ० 2522(अ) जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 2566(अ) और का॰आ॰ 2567 जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौसठ) का॰आ॰ 2568(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 2587(अ) जो 3 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छियासठ) का॰आ॰ 2599(अ) जो 5 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2083(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सड़सठ) का॰आ॰ 2602(अ) जो 5 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाली चेन्नई बाईपास (फेज-दो) के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़सठ) का॰आ॰ 2603(अ) जो 5 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाली चेन्नई बाईपास (फेज-दो) के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 2724(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्तर) का॰आ॰ 2726(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तिरुचिरापल्ली–करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 2829(अ) जो 2 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै–कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बहत्तर) का॰आ॰ 2884(अ) और का॰आ॰ 2885(अ) जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै–अरूप्पुकोट्टई–थूथुक्कुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 2886(अ) जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै–अरूप्पुकोट्टई–थूथुक्कुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 2887(अ) जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावूर–तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 3004(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सलेम–करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 3005(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै–कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 368(अ) जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 (बीजापुर–हुबली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 209(अ) जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर हुबली–धारवाड़ बाईपास पर तरिहाल रोड इंटरचेंज के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(उनासी) का॰आ॰ 2950(अ) जो 22 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पंजिम–मंगलोर खण्ड पर काली नदी पर पुल के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(अस्सी) का॰आ॰ 367(अ) जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर कोडुंगलूर बाईपास (चन्दप्पुरा–कोट्टापुरम खण्ड) के निर्माण अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 201(अ) जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(43) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 413(अ) जो 6 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर–महुआ–जयपुर खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(44) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2008 जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 20(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2009 जो 21 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 220(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2008 जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 50(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 51(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(48) उपर्युक्त (47) की मद संख्या (दो) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-Iक की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2813(अ) जो 28 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(50) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) धन-कर (पहला संशोधन) नियम, 2009 जो 30 जनवरी, 2009 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 379(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 13 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 470(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(51) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 91(अ) जो 10 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 8(अ) जो 2 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 103/2008-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 9(अ) जो 2 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 89/2005-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(52) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 92(अ) जो 11 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 93(अ) जो 11 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 883(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या 32/2005-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(53) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (4) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उपधारा (4) के अंतर्गत यूज ऑफ वेरी लो पावर रिमोट कार्डियक मानीटरिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी वायरलेस मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इम्प्लांट कम्युनिकेशन सिस्टम्स (एमआईसीएस) अथवा मेडिकल इम्प्लांट टेलीमेटरी सिस्टम्स (एमआईटीएस), और अन्य ऐसे वेरी लो पावर मेडिकल रेडियो फ्रीक्वेंसी वायरलेस डिवाइसेस अथवा इक्यूपमेंट्स (अनुज्ञा अपेक्षा से छूट) नियम, 2008 जो 23 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 673(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा की (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) सी॰पी॰आर॰ एनवॉयरमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी॰पी॰आर॰ एनवॉयरमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2979(अ) जो 26 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 671(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 2674(अ) जो 18 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(59) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 195 (अ) जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1533 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीए/आइएसी/6/48/2008 जो 9 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों को 26 दिसम्बर, 2008 से बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड फौरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट

कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड फौरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलवमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्टब्लेयर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को 19 फरवरी, 2009 को लोक सभा द्वारा पारित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा 24 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 फरवरी, 2009 को पारित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2009 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री राजेश वर्मा सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 1 दिसम्बर, 2008 को हुई ग्यारहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखा।

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ वल्लभभाई कथीरिया ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की:—

(1) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन एवं वनरोपण विकास निगम लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में 36वां प्रतिवेदन; और

(2) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण—संरक्षा और सुरक्षा पहलू के बारे में 37वां प्रतिवेदन [सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (14वीं लोक सभा) के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही]।

7. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए—

(1) निम्नलिखित विषयों पर 48वां प्रतिवेदन:—

(क) बैंकिंग क्षेत्र की नीतियों तथा संबंधित मामले के बारे में श्री गुरुदास दासगुप्त, संसद सदस्य की वित्त मंत्रालय से संबंधित याचिका।

(ख) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित अभ्यावेदन।

(2) निम्नलिखित विषयों पर 49वां प्रतिवेदन:—

(क) एलायंस एयर के कर्मचारियों की उनके नियोजन आदि से संबंधित शिकायतों के बारे में श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य का नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित याचिका।

(ख) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदन।

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा विद्युत मंत्रालयों से संबंधित अभ्यावेदनों के बारे में 50वां प्रतिवेदन।

8. **कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री मोहन सिंह ने 'भारत में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का 47वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. **श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने 'एचएमटी इकाइयों की रुग्णता के कारण कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याओं' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 40वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. **खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 21वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(2) अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 22वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

11. **शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री मोहम्मद सलीम ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)' के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन

(14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 24वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(2) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(4) 'मुद्रण निदेशालय' के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(5) 'एकीकृत न्यून लागत सफाई योजना (आईएलसीएस)' के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(6) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(7) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

12. **ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री हन्नान मोल्लाह ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत कीः—

(एक) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 45वां प्रतिवेदन;

(दो) ''ग्रामीण आवास'' विषय पर 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

13. **ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री हन्नान मोल्लाह ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीः—

(1) 'पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-06)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2004-05) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के 15वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(2) 'भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2005-06)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2004-05) के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के 16वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(3) पेय जलापूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के 23वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(4) 'भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2006-07)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के 19वें प्रतिवेदन में

अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के 24वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(5) 'भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 31वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(6) 'पेय जलापूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 32वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

(7) 'ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 33वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशें के संबंध में अंतिम उत्तर।

(8) 'पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 34वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

14. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) विदेश मंत्री और वित्त की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की

मांगों (क्रमश: 2007-08 और 2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 60वें और 68 वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:

(एक) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2007-08 और 2008-09) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 127वें और 135वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2007-08 और 2008-09) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 128वें और 134वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) ग्रामीण विकास मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(चार) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(पांच) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(छह) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने क्रमश: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,

सिद्धा और होमियोपैथी (आयुष) तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभागों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 27वें, 28वें और 29वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(सात) प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रात्रय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(एक) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2004-05, 2006-07, 2007-08 और 2008-09) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के पहले, 14वें, 19वें और 25वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(आठ) विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(नौ) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दस) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने क्रमश: डाक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 56वें और 58वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.12 बजे

15. **ध्यानाकर्षण**

श्री बसुदेव आचार्य ने आईडीबीआई प्रबंधन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करके और उनका निलंबन और स्थानांतरण कर उनके विरुद्ध कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

वित्त मंत्री की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

*अपराह्न 1.04 बजे

16. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पर रखे:—

(1) श्री वी॰ के॰ ठुम्मर द्वारा अमरेली, गुजरात में एफएम रेडियो स्टेशन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों को आंध्र प्रदेश में किसानों से कपास खरीदने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) प्रो॰ रासा सिंह रावत द्वारा राजस्थान के विकास के लिए इस राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने और कर से छूट देने की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अनंत नायक द्वारा उड़ीसा के क्योंझर जिले में सिलसुआं एयरपोर्ट और झारखण्ड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में टोन्टो एयरपोर्ट का विस्तार और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.38 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(5) डा॰ सत्यनारायण जटिया द्वारा उज्जैन को अमृतसर, अजमेर, बड़ौदा और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के साथ जोड़ने वाली नई ट्रेनें चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री महावीर भगोरा द्वारा उदयपुर, राजस्थान में उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री खगेन दास द्वारा त्रिपुरा में लूमडिंग से अगरतला तक रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राम कृपाल यादव द्वारा बिहार की 'कानू' जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज द्वारा कायमकुलम पावर स्टेशन का दर्जा बदलने का निर्णय वापस लिए जाने और इसका केरल को समर्पित पावर स्टेशन के रूप में पूर्व दर्जा बनाए रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डा॰ अरूण कुमार शर्मा द्वारा असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा व्यापक अपरदन रोके जाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डा॰ सिबैस्टियन पॉल द्वारा डीडीए और दिल्ली में विभिन्न सहकारी आवास सोसाइटियों द्वारा निर्मित आवास इकाइयों के लिए ड्रा निकाले जाने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.05 बजे

17. **सरकारी विधेयक—पारित**

लिया गया समय: 1 घंटा 28 मिनट

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री अर्जुन सिंह की ओर से श्री मो॰ अली अशरफ फातमी द्वारा 24 फरवरी, 2009 को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्रीमती डी॰ पुरन्देश्वरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती डी॰ पुरन्देश्वरी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 1.17 बजे

18. **सरकारी विधेयक—पारित**

लिया गया समय: 18 मिनट

राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खण्ड) विधेयक, 2007

श्री टी॰ आर॰ बालू द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य
2. श्री बृज किशोर त्रिपाठी

श्री टी॰ आर॰ बालू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री टी॰ आर॰ बालू द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 1.36 बजे

*19. **सांविधिक संकल्प — वापस लिया गया**

लिया गया समय: 43 मिनट

प्रो॰ रासा सिंह रावत ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा 10 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।''

---

*संयुक्त चर्चा हुई।

चर्चा के पश्चात्, जैसाकि नीचे के पैरा 20 में दर्शाया गया है, सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

*20. **सरकारी विधेयक — पारित**

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2009, राज्य सभा द्वारा यथापारित

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (उपर्युक्त पैरा 19 देखिए) और विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. प्रो॰ रासा सिंह रावत
2. श्री बाजू बन रियान
3. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
4. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खण्ड 6 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 से 9 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

---

* संयुक्त चर्चा हुई।

अपराह्न 2.20 बजे

***21. राज्य सभा द्वारा सरकारी विधेयक में किए गए संशोधन—कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008 से सहमत हुई।**

श्री जयराम रमेश द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

अधिनियम सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में ''उनसठवें'' **के स्थान पर** ''साठवें'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक ''2008'' **के स्थान पर** अंक ''2009'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

नया खण्ड 6क

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 26 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए, अर्थात्,—

नई धारा 35 का अंत:स्थापन।

''6क, मूल अधिनियम की धारा 34 **के पश्चात्** निम्नलिखित धारा **अंत:स्थापित** किया जाए, अर्थात्:—

विधिमान्यकरण।

'35. दिनांक 13 अक्तूबर, 2008 को या उसके बाद शुरू होने वाली और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम' 2009 के आरंभ से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किए गए या करने के लिए विलोपित सभी चीजों और की गई या न की गई सभी कार्रवाई या उपाय को जहां तक वे कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम, के उपबंधों के अधीन किया गया या करने के लिए विलोपित अथवा की गई या न की गई कार्रवाई अथवा उपाय माना जाएगा मानो कि उक्त

---

*विधेयक 23 दिसम्बर, 2008 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया तथा सहमति के लिए राज्य सभा में भेजा गया। राज्य सभा ने 16 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में संशोधनों के साथ विधेयक पारित किया तथा लोक सभा को 17 फरवरी, 2009 को लौटा दिया।

अवधि के दौरान ऐसी चीजों को किए जाने या करने के लिए विलोपन अथवा ऐसी कार्यवाही या उपाय किए जाने या न किए जाने के समय ये उपबंध लागू थे'।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संतोष गंगवार
2. श्री सुधांशु सील

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जयराम रमेश द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

अपराह्न 2.46 बजे

22. **सरकारी विधेयक — पारित**

लिया गया समय: 1 घंटा 1 मिनट

व्यापार चिन्ह (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अश्विनी कुमार द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
2. श्री एस॰के॰ खारवेनथन
3. श्री आलोक कुमार मेहता
4. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
5. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु
6. श्री लक्ष्मण सिंह

श्री अश्विनी कुमार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 और 8 स्वीकृत हुए।

खण्ड 9, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री अश्विनी कुमार द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 3.47 बजे

23. **नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 2 घंटे 58 मिनट

सभापति ने सभा को सूचित किया कि श्री बसुदेव आचार्य, जिन्हें सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के मामलों के कथित कुप्रबंधन से उत्पन्न स्थिति के बारे में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा आरंभ करनी थी, ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि उनकी ओर से श्री रूपचन्द पाल को चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी जाए तथा अध्यक्ष ने उनका अनुरोध स्वीकार किया।

तद्नुसार, श्री रूपचन्द पाल ने चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
2. श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली
3.* श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
4. श्री बृज किशोर त्रिपाठी

---

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

5. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी

6. श्री किन्जरपु येरननायडु

7. श्री बी॰ विनोद कुमार

8. श्री के॰एस॰ राव

9.* श्री रामदास आठवले

10. प्रो॰ एम॰ रामदास

11. श्री वीरेन्द्र कुमार

12.** श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी

श्री प्रेमचन्द गुप्ता ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(गणपूर्ति के अभाव में, लोक सभा सायं 6.52 बजे स्थगित हुई तथा सांय 7.39 बजे पुनः समवेत हुई)

सांय 7.40 बजे

24. **सरकारी विधेयक — पारित**

लिया गया समय: 1 घंटा 29 मिनट

(एक)@ पुनर्वास और पुनःस्थापन विधेयक, 2007।

(दो)@ भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007।

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किए जाने और पारित किए जाने के प्रस्ताव में इसके अनुप्रयोग को निलंबित करती है चूंकि यह पुनर्वास और पुनःस्थापन विधेयक, 2007 पर आधारित है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

@एक साथ चर्चा की गई।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने विधेयकों अर्थात् (एक) पुनर्वास और पुन:स्थापन विधेयक, 2007 और (दो) भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हन्नान मोल्लाह
2. श्री संदीप दीक्षित
3. श्री तरित बरण तोपदार
4. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) पुनर्वास और पुन:स्थापन विधेयक, 2007 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 से 8 यथासंशोधित, स्वीकृत हुए।

खण्ड 9, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15 से 19 स्वीकृत हुए।

खण्ड 20, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 24 से 28 स्वीकृत हुए।

खण्ड 29, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 30 और 31 स्वीकृत हुए।

खण्ड 32, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 33, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 34 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 35, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 36, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 37 से 40 स्वीकृत हुए।

खण्ड 41, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 42, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 43 से 48 स्वीकृत हुए।

खण्ड 49, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 50 से 60 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

(दो) भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 और 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 8, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 9क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 स्वीकृत हुआ।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 11क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 11क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 32 और 33 पर सभा में मतदान हुआ; #हाँ : 55 #नहीं : 10 तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुए।

खण्ड 13, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15, स्वीकृत हुआ।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 15क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 15क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16, स्वीकृत हुआ।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 16क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 16क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

शुद्धि के अध्यधीन।

खण्ड 18 और 19 स्वीकृत हुए।

खण्ड 20 अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 21 अस्वीकृत हुआ।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भू-अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 23 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 21क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 21क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22 और 23 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

रात्रि 9.09 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 26 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—1151LS—25-02-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 26 फरवरी, 2009/7 फाल्गुन, 1930 (शक)

संख्या 332

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने आठवीं लोक सभा की सदस्य प्रो॰ (श्रीमती) चन्द्र भानू देवी; छठी, सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री अजीत सिंह दाभी; और ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री देवेन्द्र बहादुर रॉय के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

2. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 141, 143, 144 और 145 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 142 और 146—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 805—907 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) साऊथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) वेस्ट ज़ोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट ज़ोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधाराओं (1) और (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 329(अ) जो 2 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कम्पनियों को उक्त अधिनियम की धारा 620क के अंतर्गत निधि का दर्जा प्रदान किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के संचित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कार्यस्थल पर संरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय शिक्षु परिषद् (संशोधन) नियम, 2008 जो 30 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 895(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का॰आ॰ 2594, जो 13 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, प्रौद्योगिकी के अध्ययन विषयों को शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रयोजनार्थ नामित ट्रेडों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(23) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) इंडियन रेडक्रास सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 से 2007-2008 तक और उसमें उल्लिखित 13 अन्य संगठनों के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन

तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) जम्मू एण्ड कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोडयूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1992-1993 से वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत शहद श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2008, जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 877 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी जो अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2847(अ) 8 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 1 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश 2008 जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2888 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) नाशक जीव मार अधिनियम, 1968 की धारा 27 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) फेनीट्रोथियन का उपयोग आदेश, 2007, जो 3 मई 2007 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 706(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) लिंडेन (गामा बी॰एच॰सी॰) के आयात, विनिर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध आदेश, 2007, जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1472(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) डायजिनान के उपयोग पर प्रतिबंध आदेश, 2007, जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 45(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) फेन्थियन के उपयोग पर प्रतिबंध आदेश, 2007, जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 46(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) मेटोक्सूरॉन का वापसी आदेश, 2007, जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 47(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) डेजोमेट के उपयोग पर प्रतिबंध आदेश, 2007, जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3006(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) क्लोरोफेन्विनफॉस पर प्रतिबंध आदेश, 2008, जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3007(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(39) नाशक जीव मार अधिनियम, 1968 की धारा के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 374 (अ), जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 8 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 45(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(दो) का॰आ॰ 375 (अ), जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 8 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 46(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 376 (अ), जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 8 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 47(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(40) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी उर्वरक नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009, जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 401(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) कुमारकृप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमारकृप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) डोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) असम राइफल अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत असम राइफल नियम, 2008, जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 861(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 20 फरवरी, 2009 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 106(अ) (केवल अंग्रेजी संस्करण) का शुद्धिपत्र।

(46) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (पांचवां संशोधन) आदेश, 2008 जो 22 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2247(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (छठा संशोधन) आदेश, 2008 जो 22 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2248(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (सातवां संशोधन) आदेश, 2008 जो 22 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2249(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) कोस्टल एक्वाकल्चर अथारिटी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोस्टल एक्वाकल्चर अथारिटी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखारीक्षित लेखे।

(दो) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) सेन्ट्रल कॉटिज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल कॉटिज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टेक्सप्रोसिल), मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टेक्सप्रोसिल), मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 2008 जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 818(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2160 (अ), जो 4 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें हथकरघा द्वारा विशिष्ट उत्पादन के लिए वस्त्र सामान की ग्यारह श्रेणियां विनिर्दिष्ट की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल्स ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल्स ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के बाद नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) चीनी (वर्ष 2008-2009 उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 2009 जो 21 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 41(अ)/ईएसएस॰कॉम/शुगर॰ में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2008 जो 29 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2984(अ)/ईएसएस॰कॉम/शुगरकेन में प्रकाशित हुआ था।

(64) चीनी उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 102(अ) जो 9 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ''ऐसी अन्य चीनी से विनिर्मित'' किसी चीनी पर जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपकर उदग्रहणीय है, उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहित चीनी पर उपकर के उद्ग्रहण से छूट दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत विस्फोटक नियम, 2008 जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 907(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कालीकट के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कालीकट के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) विश्व भारती के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) नागालैण्ड विश्वविद्यालय के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) असम विश्वविद्यालय के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) मिजोरम विश्वविद्यालय के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*वार्षिक प्रतिवेदन 17.2.2009 को सभा पटल पर रखा गया।

(79) उपर्युक्त (78) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) भारतीय काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद्, कोच्चि के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद्, कोच्चि के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राष्ट्रपति का संदेश

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें माननीय राष्ट्रपति का दिनांक 20 फरवरी, 2009 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

''मुझे 12 फरवरी, 2009 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं को संबोधित अभिभाषण के लिए लोक सभा सदस्यों से धन्यवाद ज्ञापन प्राप्त हुआ है।''

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 24 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 फरवरी, 2009 को पारित केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 25 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 फरवरी, 2009 को किए गए संशोधनों से सहमत हुई।

(तीन) कि राज्य सभा को 24 फरवरी, 2009 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा को 24 फरवरी, 2009 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(पांच) कि राज्य सभा को 24 फरवरी, 2009 को लोक सभा द्वारा पारित वित्त विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

7. **लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन**

श्री संतोष गंगवार ने ''स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय (2005-2006)'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 54वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति (2008-2009) का 84वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा ने ''भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन'' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. **रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री बसुदेव आचार्य ने 'रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2008' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 42वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. **गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री नवीन जिन्दल ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे :—

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 132वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 140वां प्रतिवेदन।

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 133वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 141वां प्रतिवेदन।

(3) कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण की केन्द्रीय योजना के कार्यान्वयन संबंधी 142वां प्रतिवेदन।

11. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेयजल आपूति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.12 बजे

12. **ध्यानाकर्षण**

श्री मोहन सिंह ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में 16.11.1995 से लागू कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन स्कीम की पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

*अपराह्न 12.37 बजे

13. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

अपराह्न 1.01 बजे

(एक) *ग्रामीण डाक सेवक समिति के प्रतिवेदन का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।*

श्री बसुदेव आचार्य ने ग्रामीण डाक सेवक समिति के प्रतिवेदन का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

निम्नलिखित सदस्य सहयोजित हुए:—

1. श्री सुनील खां
2. श्री पी॰सी॰ थामस
3. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
4. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी

*अपराह्न 12.37 बजे से अपराह्न 2.05 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

5. श्री पी॰एस॰ गढ़वी
6. श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज
7. एडवोकेट सुरेश कुरुप
8. श्री एस॰ अजय कुमार
9. श्री एन॰एन॰ कृष्णदास
10. श्री राम कृपाल यादव
11. श्री पी॰ राजेन्द्रन
12. डा॰ के॰एस॰ मनोज
13. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
14. श्री ब्रह्मानन्द पंडा
15. श्रीमती सी॰एस॰ सुजाता
16. प्रो॰ रासा सिंह रावत
17. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई
18. श्री गिरिधारी यादव
19. श्रीमती पी॰ सतीदेवी

श्री ए॰आर॰ अंतुले ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.28 बजे

(दो) *भारत सरकार द्वारा कोचीन शिपयार्ड का निजीकरण किए जाने के कथित प्रयास के बारे में।*

एडवोकेट सुरेश कुरुप ने भारत सरकार द्वारा कोचीन शिपयार्ड का निजीकरण किए जाने के कथित प्रयास के बारे में मामला उठाया।

श्री फ्रांसिस के॰ जॉर्ज, डा॰ के॰एस॰ मनोज और एडवोकेट पी॰ सतीदेवी सहयोजित हुए।

श्री वायालार रवि ने उत्तर दिया।

अपराह्न 2.06 बजे

14 नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री योगी आदित्यनाथ ने बी॰आर॰डी॰ मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एम्स के समतुल्य सुविधाएं प्रदान कर इसका उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री मुन्शी राम ने सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत 'प्रेरक', 'नोडल प्रेरक' और 'सहायक नोडल प्रेरक' के मानदेय बढ़ाए जाने और मानदेय की बकाया राशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

#15. **राज्य सभा द्वारा सरकारी विधेयक में किए गए संशोधन—से सहमति**

*विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री प्रफुल पटेल द्वारा राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, ''उनसठवें'' शब्द **के स्थान पर** ''साठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 1

2. कि प्रष्ठ 1, पंक्ति 3, अंक ''2008'' **के स्थान पर** ''2009'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रफुल पटेल द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत होने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

(लोक सभा अपराह्न 2.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई)

#अपराह्न 12.07 बजे।

*विधेयक 30 अप्रैल, 2008 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया तथा सहमति के लिए राज्य सभा में भेजा गया। राज्य सभा ने 18 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में संशोधनों के साथ विधेयक पारित किया और उसी दिन इसे लोक सभा को लौटा दिया।

अपराह्न 3.00 बजे

16. **विदाई संबंधी उल्लेख**

प्रधान मंत्री की ओर से सभा के नेता, विपक्ष के नेता और अध्यक्ष महोदय ने चौदहवीं लोक सभा के पंद्रहवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 3.41 बजे

17. **राष्ट्रीय गीत**

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 3.42 बजे

(लोक सभा अपराह्न 3.42 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

दिनांक 25.02.2009 के समाचार—भाग 1,

संख्या 331

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 43, पंक्ति 2, 'हां : 58, नहीं : 10' ***के स्थान पर*** 'हां : 10, नहीं : 58' ***पढ़ा जाए।***

GMGIPMRND—1177LS—26-02-2009.